

हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) एवं विभाग में संचालित अन्य योजनान्तर्गत एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट- Woven/Leno एवं प्लास्टिक मल्विंग शीट (Plastic Mulching Sheet) के मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें:-

एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्व शीट (Plastic Mulch Sheet) आपूर्तिकर्ता इच्छुक फर्म/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों, एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट- Woven/Leno एवं प्लास्टिक मल्व शीट (Plastic Mulch Sheet) की विशिष्टियों तथा निर्धारित प्रारूप को दिनांक 05.07.2024 से दिनांक 26.07.2024 तक वेबसाइट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड कर अथवा कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण हेतु आवेदन, आवश्यक अभिलेख सहित दिनांक 26.07.2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक डाक व दस्ती के माध्यम से कार्यालय- निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में उपलब्ध कराना आवश्यक है। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 27.07.2024 के पूर्वाह्न 11:00 बजे विभागीय कमेटी द्वारा खोला जायेगा। EoI की शर्तें एवं निर्धारित प्रारूप निम्नानुसार है:-

- 1) फर्म/कम्पनी द्वारा लिफाफे के ऊपर "एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्व शीट (Plastic Mulch Sheet) हेतु आवेदन" अवश्य अंकित किया जाय तथा दोनों के आवेदन पत्र/अन्य दस्तावेजों को अलग-अलग लिफाफों में जमा किये जाय।
- 2) पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म को बागवानी मिशन की वेबसाइट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। "एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) के आवेदन हेतु रू0 5900.00 एवं प्लास्टिक मल्व शीट (Plastic Mulch Sheet) के आवेदन हेतु रू0 2360/- (रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, पृथक-पृथक सम्बन्धित लिफाफे में संलग्न करना होगा। वेबसाइट से डाउनलोड किये गये आवेदन फार्म अथवा क्रय किये गये आवेदन फार्म किसी अन्य फर्म/कम्पनी को न तो विक्रय किया जा सकेगा न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
- 3) एन्टी हेलनेट/बर्ड नेट हेतु फर्म/कम्पनी को पंजीकरण हेतु रू0 12.25 लाख (रूपये बारह लाख पचीस हजार मात्र) एवं प्लास्टिक मल्विंग के पंजीकरण हेतु रू0 4.70 लाख (रूपये चार लाख सत्तर हत्तर हजार मात्र) की बैंक गारन्टी या सावधि जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से देय हो, उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैधता दिनांक 31.03.2026 तक होनी चाहिये।
- 4) फर्म/कम्पनियों से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर राशि) कार्य के आधार पर अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अनुसार 08 प्रतिशत जनपद स्तर पर सावधी जमा रसीद के रूप में, जो फर्म/कम्पनी/कम्पनी द्वारा अधिकृत विक्रेता के नाम बन्धक हो, जमा करा ली जायेगी। गारन्टी/वारन्टी समयाधि 05 वर्ष के उपरान्त सम्बन्धित जनपद के मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बन्धनमुक्त कर सम्बन्धित को मूल में वापस करा दी जायेगी। पंजीकृत फर्म की अग्रिम धनराशि (Earnest Money) को प्रतिभूति धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।
- 5) फर्म/कम्पनी का एन्टीहेल नेट पंजीकरण के लिये विगत 02 वर्षों का औसतन टर्न ओवर न्यूनतम रू0 75.00 लाख एवं प्लास्टिक मल्विंग हेतु न्यूनतम रू0 50.00 लाख होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं विगत 02 वर्षों का Financial Statement भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6) फर्म/कम्पनी की Net Worth सकारात्मक (Positive) होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- 7) किसानों को निर्माण उपरान्त सेवा आसानी से प्राप्त कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।
- 8) यदि निर्माता फर्म/कम्पनी देश के बाहर की हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership ली गई हो, जिससे उक्त फर्म/कम्पनी देश में कार्य कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 9) कास्तकार एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मलच शीट (Plastic Mulch Sheet) हेतु विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से कार्य करा सकता है।
- 10) फर्म/कम्पनी का वाणिज्य कर हेतु पंजीकरण व निर्माण उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।
- 11) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/निर्माता, फर्म/कम्पनी को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, GST एवं आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।
- 12) पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी के साथ विवाद की स्थिति में फर्म/कम्पनी को निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- 13) पंजीकरण की वैधता तिथि 31.03.2026 तक होगी।
- 14) भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
- 15) विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।
- 16) यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि 31.03.2026 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।
- 17) फर्म/कम्पनी द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विभाग को मूल बिल-वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को DBT के माध्यम से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा।
- 18) कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तों/नियमों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 19) फर्म/कम्पनी द्वारा एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्लिंग (Plastic Mulching) के नमूने कार्यालय में जमा करना होगा। गुणवत्ता उच्च होने पर ही फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जिसकी पुष्टि हेतु फर्म/कम्पनी को CIPET/BIS से सैम्पल की टेस्टिंग रिपोर्ट पंजीकरण हेतु संलग्न करनी होगी। किसी फर्म/कम्पनी का सैम्पल फेल होने की दशा में पंजीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। आपूर्ति की गई गुणवत्ता खराब होने पर उक्त सैम्पल की जाँच कराई जा सकती है।
- 20) फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 नोटेराईज्ड शपथ पत्र पर प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा, कि किसी प्रदेश में ब्लैक लिस्ट नहीं है एवं फर्म के विरुद्ध कोई विवाद, विधिक कार्यवाही, अपराधिक कार्यवाही नहीं चल रही है एवं संलग्न किये गये अभिलेख सत्य हैं।
- 21) एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं/अथवा प्लास्टिक मल्लिंग (Plastic Mulching) के पंजीकरण हेतु दी गई दरों के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अन्य राज्यों या संस्थाओं को की गई आपूर्ति की दरों से अधिक नहीं होने सम्बन्धी रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

- 22) फर्म/कम्पनी द्वारा ऐन्टीहेल नेट/प्लास्टिक मल्विंग शीट मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति नहीं किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धित फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा और ऐसी फर्म को काली सूची में रखे जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी भी जब्त की जा सकती है।
- 23) पंजीकृत किये जाने वाले फर्म/कम्पनी को ऐन्टी बर्ड / ऐन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्विंग (Plastic Mulching) विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों (Specification's) के अनुसार आपूर्ति करना होगा।
- 24) फर्म/कम्पनी को ऐन्टी बर्ड / ऐन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) हेतु रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर 05 वर्षों की गारन्टी/वारन्टी एवं प्लास्टिक मल्विंग हेतु 01 वर्ष की गारन्टी का पृथक-पृथक शपथ पत्र देना होगा।
- 25) फर्म/कम्पनी को ऐन्टी बर्ड / ऐन्टी हेल नेट- Woven/Leno एवं प्लास्टिक मल्विंग (Plastic Mulching) के नमूने आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- 26) फर्म/कम्पनी द्वारा कास्तकारों को ऐन्टी बर्ड / ऐन्टी हेल नेट लगाने एवं प्लास्टिक मल्विंग (Plastic Mulching) बिछाने की पूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान करनी होगी।
- 27) पंजीकरण के पश्चात फर्म/कम्पनी से विभाग द्वारा जनपदवार दरें प्राप्त की जायेगी एवं न्यूनतम दर के आधार पर एल0-1 फर्म की सहमति पर अन्य पंजीकृत फर्म/कम्पनी से भी कार्य कराया जा सकता है।
- 28) पंजीकरण हेतु फर्म/कम्पनी को समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर उसके द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को समाप्त कर दिया जायेगा, इसके लिए रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पर शपथ पत्र मूल रूप से अनिवार्य होगा।
- 29) ऐन्टी बर्ड नेट/ऐन्टीहेल नेट-woven/Leno की विशिष्टियां:-

S. No.	Specifications	Woven/Leno
1	Type of thread	HDPE
2	Yarn Thickness	0.25-0.28 mm
3	Weight	70 GSM
4	Bursting Pressure	8-10 kg/Sqm
5	Shade factor (max. permissible)	Up to 17%
6	Colour	Transparent
7	Service Life	Min 5 years
8	Material used	100% virgin
9	UV Stabilization	Required
10	Selvedge	2"

- 30) प्लास्टिक मल्विंग की विशिष्टियां- कृषक की मांगानुसार प्लास्टिक मल्विंग सीट उपलब्ध करानी होगी। पंजीकरण के पश्चात दरें मांगे जाने पर प्रत्येक माइक्रोन की मल्विंग सीट की पृथक-पृथक दरें उपलब्ध करानी होंगी। कृषक को राजसहायता का भुगतान न्यूनतम दरों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

S. No.	Particulars	Specifications
1	Non reflective Film (IS17216:2019)	30, 40, 50, 75 & 100 Micron etc.
2	Color	Black, Black & White, Silver

कार्यालय – निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्ट च शीट (Plastic Mulch Sheet) के इम्पेनलमेन्ट हेतु तकनीकी प्रपत्र –1

कमांक	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं	पृष्ठ संख्या
1-	फर्म/कम्पनी की विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी के स्वामी का नाम, फर्म/कम्पनी के निदेशक, फर्म/कम्पनी के साझेदारों का नाम अंकित हो।		
2-	प्रक्रिया शुल्क का विवरण- ड्राफ्ट संख्या.....तिथि.....धनराशि रू0		
3-	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद, जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो। 1. बैंक का नाम..... शाखा का नाम व पूर्ण पता		
	बैंक गारन्टी/FDR संख्या..... तिथि.....धनराशि रू0 लाख		
4-	फर्म का पैन नम्बर की छायाप्रति		
5-	फर्म का जी.एस.टी. की छायाप्रति		
6-	विभाग द्वारा एन्टीहेल नेट एवं प्लास्टिक मल्टिंग शीट हेतु निर्धारित विशिष्टियों (Specification's) की हस्ताक्षरित प्रति।		
7-	फर्म/कम्पनी का कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य में होने का प्रमाण पत्र।		
8-	रू0 100.00 के नोटरीज्ड शपथ पत्र पर संलग्न अभिलेखों की सत्यता, फर्म के विरुद्ध कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही, ब्लैक लिस्ट नहीं होने, निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने, एन्टी हेल नेट हेतु 05 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने एवं प्लास्टिक मल्टिंग हेतु 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने के सम्बन्ध में।		
9.	रू0 100.00 के नोटरीज्ड शपथ पत्र पर वित्तीय प्रपत्र में दी गई दरें न्यूनतम होने व दी गई दरों से कम दरों पर किसी राज्य या संस्था या विभाग में पंजीकरण की अवधि में कार्य नहीं किये जाने की शपथ।		
10.	देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण।		
11.	फर्म/कम्पनी के फ़ैक्ट्री/वर्क शॉप का उपलब्ध मशीनों व तकनीकी कर्मचारियों के विवरण सहित विस्तृत सूचना, फ़ैक्ट्री/वर्कशॉप का पूर्ण पता सहित।		

क्रमांक	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं	पृष्ठ संख्या
12.	फर्म/कम्पनी का एंटीहेल नेट पंजीकरण के लिये विगत 02 वर्षों का औसतन टर्न ओवर न्यूनतम रू0 75.00 लाख एवं प्लास्टिम मल्विंग के लिये न्यूनतम टर्न ओवर रू0 50.00 लाख होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं विगत 02 वर्षों का Financial Statement भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
13	फर्म/कम्पनी की Net Worth सकारात्मक (Positive) होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।		
14	फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये नमूने की CIPET/BIS या किसी अन्य मान्यता प्रयोगशाला से टेस्टिंग रिपोर्ट संलग्न की जाय (जो कि 01 अप्रैल, 2024 से पूर्व की न हो)।		
15	पंजीकरण हेतु फर्म/कम्पनी को समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर उसके द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को समाप्त कर दिया जायेगा, इसके लिए रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पर शपथ पत्र मूल रूप से अनिवार्य होगा।		

नोट— उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाएँ सत्य एवं प्रमाणित हैं। आवेदन के साथ समस्त प्रपत्रों को स्वप्रमाणित करते हुये क्रमांक अंकित करना आवश्यक है। इम्पेनलमेन्ट प्रस्ताव के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण—पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त इम्पेनलमेन्ट की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तों पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर—

प्राधिकर्ता का नाम—

फर्म का नाम/पता/ सील

मोबाईल नम्बर—

ईमेल—





